

## ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

## कामेश्वरनगर, दरभंगा

## अभिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2019 का कार्यवृत्त

सगयः 02:00 बजे उपस्थिति स्थानः कुलपति महोदय का आवासीय सभागार

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	~	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय गोपाल	<b>←</b>	सदस्य
3.	प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी	=	सदस्य
4.	डाँ० रतन कुमार चौधरी	J	सदस्य
5.	डॉ० अजीत कुमार चौधरी	-	सदस्य
6.	डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
7.	डाॅ० डी० एन० पासवान	-	सदस्य
8.	<b>डॉ</b> 0 प्रीती झा	-	सदस्य
9	डॉ० विजय मिश्रा	-	सदस्य
10.	डाँ० हरि नारायण सिंह	-	सदस्य
11.	डॉ० इन्द्र कुमार राय	_	सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार मंडल	-	सदस्य
13.	डॉ० अमर कुमार	-	सदस्य
14.	श्रीमती मीना कुमारी	=	सदस्य
15.	श्री संजय सरावगी	_	सदस्य
16.	डॉ0 बिनोद कुमार चौधरी		सदस्य
17.	कर्नल निशीथ कुमार राय, कुलसचिव	-	सचिव

अध्यक्ष महोदय के अनुमित से सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की विधिवत् शुरूआत हुई। बैठक के शुरूआत में कुलसचिव ने सभी माननीय सदस्यों को खेल दिवस की शुभकामना दी तथा उक्त अवसर पर विश्वविद्यालय में आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी।

मद सं0 1. निर्णयः अभिषद् की गत बैठक दिनांक 14.06.2019 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार। सर्वसम्मति से अभिषद की गत बैठक दिनांक 14.06.2019 के कार्यवृत्त को संपुष्ट

किया गया।

मद सं0 2 निर्णयः अभिषद की गत बैठक दिनांक 20.07.2019 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 20.07.2019 के कार्यवृत्त को संपुष्ट करने के क्रम में, श्री संजय सरावगी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को संबंद्ध ईकाई में परिवर्तित करने संबंधी पत्र एवं पूरी जाँच से संबंधित पिछले बैठक में हुई संपूर्ण बात को कार्यवृत्त में शामिल करने की बात कही। वहीं उनके द्वारा सूचित किया गया कि लगभग एक साल पुराने हो चुके Library Automation मामले की संपूर्ण जानकारी अभी तक अप्राप्त है। इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्रीमती मीना कुमारी ने पिछले बैठक में उनके द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित मामले में पूरी बात कार्यवृत्त में न आने पर असंतोष व्यक्त किया। श्री दिलीप कुमार चौधरी ने अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित जानकारी माँगी। जिसपर अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव ने अनुकम्पा नियुक्ति में हुए अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन तथा 19 कर्मियों की बहाली से संबंधित अधिसूचना सदन के समक्ष उपस्थापित किया। जिस पर सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि अगले बैठक में अनुकम्पा से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाय। डाँ० दिलीप कुमार चौधरी, डाँ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डाँ० बिनोद कुमार चौधरी ने श्री अशोक कुमार ठाकुर जो पूर्व में W.I.T. में कार्यरत

pravau

था, के मामले को review करने का प्रस्ताव पुनः सदन में रखा। डाँ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डाँ० हरि नारायण सिंह के पूर्व प्रस्ताव संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों जो वर्त्तमान में आउटसोर्स में कार्यरत है को पुनः संविदा पर बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पर राज्य सरकार से उचित निर्देश लेकर कारवाई करने का निर्णय लिया गया। डाँ० बिनोद कुमार चौधरी ने राजा राम झा से संबंधित मामले में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य संपन्न कराने का प्रस्ताव सदन में रखा। पुनः डॉ० चौधरी के प्रस्ताव जो डाँ० हरे राम आचार्या, जे०के० कॉलेज, बिरौल, दरमंगा की सेवा सामंजन के संबंध में था, पर सदन को सूचित किया गया कि इसके लिए समिति का गठन हो गया है। डाँ० दिलीप कुमार चौधरी के प्रस्ताव जो LNMUSTA कार्यालय के जिणोंद्धार से संबंधित था, उक्त कार्यवृत में LNMUTA के जगह पर LNMUSTA कार्यालय संशोधित करते हुए सभी कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि इससे संबंधित estimate अगले बैठक में उपस्थापित किया जाय।

मद सं0 3. निर्णय:

अभिषद् की बैठक दिनांक 14.06.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर विचार। अभिषद् की गत बैठक दिनांक 14.06.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन को सर्वसम्मति से पारित एवं स्वीकार किया गया।

मद सं 4.

निर्णय :

अभिषद् की बैठक दिनांक 20.07.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर विचार। अभिषद् की बैठक दिनांक 20.07.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा अनुकम्पा पर बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया। साथ ही, 104 अभ्यथियों का विस्तृत प्रतिवेदन अगले बैठक में उपस्थापित किये जाने पर सहमति बनी। पुस्तकाध्यक्ष के पोस्ट से संबंधित मामले में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में कुलपति महोदय द्वारा नियमानुसार कारवाई की जाय। सदस्यों द्वारा राज्य सरकार के पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। डॉं० हरि नारायण सिंह ने आग्रह किया कि शिक्षा संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाँच हेतु एक जाँच समिति के गठन के लिये आदेश निर्गत किया जाय। श्री संजय सरावगी ने अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के अंक-पत्रों / प्रमाण-पत्रों के वैद्यता एवं प्रमाणिकता की जाँच संबंधित संस्थानों से निश्चित रूप से कराने का आग्रह किया। श्रीमती मीना कुमारी ने कहा कि दूरभाष संख्या 7979034062 जिसके द्वारा अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों को हवेली पर मिलने हेतु कहा गया था, को गत् बैठक के कार्यवृत्त में जोड़ा जाय। डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि अनुकम्पा समिति में प्रधानाचार्य, आर० कें० महाविद्यालय, मधुबनी एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग को जोड़ा जाय। स्कूल-गुरू के लिये गठित समिति द्वारा अग्रेत्तर कारवाई हेतु निर्णय लिया जाय। डाँ० बैद्यनाथ चौधरी ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि महाविद्यालय के आन्तरिक स्रोत से अतिथि शिक्षकों का वेतन दिया जाय। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में आ रही कठिनाईयों से सदन को अवगत कराया तथा माननीय सदस्यों, डॉ० दिलीप कुमार चौधरी, श्री संजय सरावगी से आग्रह किया कि इस संबंध में सरकार तक बात रख इसपर समुचित कारवाई की जाय। जिसे सर्वसम्मित से स्वीकार किया गया। मद सं0 03, 04 में आंशिक संशोधन करते हुए पारित प्रस्तावों के अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

मद सं0 5.

विज्ञापन संख्या LNMU/01(EDU)/18 के तहत दिनांक 24 तथा 25 फरवरी 2019 को अन्तर्वीक्षा में अनुशंसित सूची अभिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु उपस्थापित।

निर्णय:

विज्ञापन संख्या LNMU/01(EDU)/18 के तहत दिनांक 24 तथा 25 फरवरी 2019 को अन्तर्वीक्षा में अनुशंसित सूची को अभिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद सं0 6.

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 87वीं, 88वीं एवं 89वीं बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 87वीं एवं 88वीं बैठक के कार्यवृत को कुछ प्रश्नों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही, 89वीं बैठक के 89.02 और 89.09 को रिम्यू (review) करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही, 89वीं बैठक के कार्यवृत्त (मद सं0 89.02 और 89.09 को छोड़कर), शेष मदों को अनुमोदित किया गया।

इतिहास विषय में अतिथि / अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्त होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नियोजन करने हेतु

विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।

मद सं0 7.

निर्णय:

इतिहास विषय में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदो के विरूद्ध नियमित नियुक्त होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नियोजन करने हेतु विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं को अभिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित

मद सं0 8.

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.07.2019 एवं 24.07.2019 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.07.2019 एवं 24.07.2019 के कार्यवृत को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही, दिनांक 23.07.2019 के बैठक के मद सं0 11 में उल्लेखित दैनिक वेतन भोगी की विस्तृत सूची अगले बैठक में उपस्थापित करने पर सहमति बनी।

मद सं0 9

To consider the request of Sri Aditya Kumar Singh, Assistant Professor, Deptt. of Philosophy, B.M. College, Rahika for grant of study leave for four months with full pay.

निर्णय:

The request of Sri Aditya Kumar Singh, Assistant Professor, Deptt. of Philosophy, B.M. College, Rahika for grant of study leave for four months with full pay was unanimously approved by the Syndicate and was decided to initiate the file in accordance with the Acts and Statute as provided in the B.S.U. Act.

मद सं0 10

अभिषद् के अनुमोदन के प्रत्याशा में डॉं० सैयद शौकत अली, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, ए०एन०डी० कॉलेज, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/2765-71/19 दिनांक 24.06.2019 द्वारा स्वीकृत 25.06.2019 से दो वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय:

डॉंं सैयद शौकत अली, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, ए०एन०डी० कॉलेज, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/2765-71/19 दिनांक 24.06.2019 द्वारा स्वीकृत 25.06. 2019 से दो वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति अभिषद् द्वारा प्रदान की गयी।

मद सं0 11

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में वाणिज्य विषय के नवनियुक्त सहायक प्राचार्य की नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में वाणिज्य

निर्णय:

विषय के नवनियुक्त सहायक प्राचार्य की नियुक्ति एवं पदस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित किया गया।

मद सं0 12

अभिषद् के अनुमोदन के प्रत्याशा में डाँ० गणेश महतो, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/1528-1605/19 दिनांक 09.03.2019 द्वारा स्वीकृत तीन वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः

डॉं० गणेश महतो, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/1528-1605/19 दिनांक 09.03.2019 द्वारा स्वीकृत तीन वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 13

For acquaintance of information about Ad-hoc teachers working in constituent colleges under this University

निर्णय:

Information about Ad-hoc teachers working in Constituent Colleges under this University was placed before the Syndicate for its acquaintance. साथ ही, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तदर्थ शिक्षकों से संबंधित विवरणी महाविद्यालयवार, नाम एवं उनके कार्यरत रहने संबंधी विवरण के साथ अगली बैठक में उपस्थापित किया जाय।

मद सं0 14

स्व0 सत्य नारायण सिंह पूर्व प्राचार्य यू०आर०कॉलेज, रोसड़ा, समस्तीपुर के पुत्र श्री सुनील कुमार सिंह को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य करने के संबंध में।

निर्णय:

स्व0 सत्य नारायण सिंह पूर्व प्राचार्य यू०आर0कॉलेज, रोसड़ा, समस्तीपुर के पुत्र श्री सुनील कुमार सिंह को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि नियमानुसार कारवाई की जाय।

मद सं0 15

To allow voluntary retirement to Smt. Sanju Choudhary, Sorter, M.K. College, Laheriasarai, Darbhanga.

निर्णयः

The proposal to allow voluntary retirement to Smt. Sanju Choudhary, Sorter, M.K. College, Laheriasarai, Darbhanga was unanimously approved by the Syndicate.

मद सं0 16

To consider the minutes of the Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 28.06.2019.

Pranar 29/08/19

निर्णय:

The minutes of the Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 28.06.2019 was unanimously approved by the Syndicate.

मद सं0. 17

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 90वीं एवं 91 वीं सलाहकार

समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय दरमंगा के 90वीं एवं 91 वीं सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत के स्थगित रखते हुए इसे अगले बैठक में उपस्थापित करने पर सहमति बनी।

मद सं0. 18

दिनांक 27.06.2019 को आवास आवंटन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को अनुमोदन करने पर विचार।

निर्णय:

दिनांक 27.06.2019 को आवास आवंटन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को सर्वसम्मित से अनुमोदित किया गया। साथ ही, आवास आवंटन समिति में LNMUSTA के एक प्रतिनिधि एवं कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि को उक्त समिति में नामित करते हुए पुनः समिति को अधिसूचित करने पर सहमित बनी।

मद सं0. 19

To consider the recommendations of Selection Committee for grant of promotion of teachers from the post of Lecturer (Senior Sacle); Lecturer (Senior Scale) to Reader; and Associate Professor to the rank of Professor in the subject of Mathematics held on 03.07.2019, under Career Advancement Scheme.

निर्णय:

The recommendations of Selection Committee for grant of promotion of teachers from the post of Lecturer (Senior Sacle); Lecturer (Senior Scale) to Reader; and Associate Professor to the rank of Professor in the subject of Mathematics held on 03.07.2019, under Career Advancement Scheme was unanimously approved by the Syndicate. It was further resolved that in the like cases of promotion of teachers, it should be notified in anticipation of post facto approval of the Syndicate.

मद सं0. 20

महिला अध्ययन से संबंधित परामर्शदात्री समिति की सप्तम बैठक दिनांक 21.06.2019 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

महिला अध्ययन के परामर्शदात्री समिति की सप्तम बैठक दिनांक 21.06.2019 के कार्यवृत को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0. 21

Institute of Gerontology and Geriatrics, L.N.M.U., Darbhanga की एडवाईजरी कॉउन्सिल की छठी बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

Institute of Gerontology and Geriatrics, L.N.M.U., Darbhanga की एडवाईजरी कॉउन्सिल की छठी बैठक के कार्यवृत को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0. 22

To consider the matter regarding termination of services of Sri Ashok Kumar, Sri Pradeep Kumar Jha and Smt. Anmola Kumari Jha, Teacher of M.L.S.M. College, Darbhanga, cancelling their absorption.

निर्णय:

उपरोक्त मामले पर सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया संबंधित तीनों व्यक्तियों को सभी वांछित कागजातों से साथ उनके पक्ष की सुनवाई की जाय, तथा उच्चतम न्यायालय के वरीयतम वकील से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पारा 23 एवं अन्य बिन्दुओं पर विधिक राय लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

मद सं0. 23

अभिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2017 के मद संख्या 4 में तात्कालिक प्रभाव से डॉ० शशिभूषण कुमार की सेवा बहाल करने के निर्णय की संपुष्टि दिनांक 25.07.2017 को अभिषद् की बैठक के मद संख्या 1 में तात्कालिक प्रभाव को विलुप्त कर निलम्बन मुक्त किये जाने से देय अनुमान्य अंकित कर पढ़े जाने का अनुमोदन हुआ। उसे संशोधन कर निलम्बन के स्थान पर बर्खास्तगी लिखे जाने के संबंध में विचार।

निर्णय :

अभिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2017 के मद संख्या 4 में तात्कालिक प्रमाव से डॉ० शशिभूषण कुमार की सेवा बहाल करने के निर्णय की संपुष्टि दिनांक 25.07.2017 को अभिषद् की बैठक के मद संख्या 1 में तात्कालिक प्रमाव को विलुप्त कर निलम्बन मुक्त किये जाने से देय अनुमान्य अंकित कर पढ़े जाने का अनुमोदन हुआ था। उसे संशोधन कर निलम्बन के स्थान पर बर्खास्तगी से मुक्त किये जाने से देय अनुमान्य लिखे जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मित से पारित किया गया।

मद सं0 24

अतिरिक्त मद यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)।

अतिरिक्त मद सं0 1.

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनान्तर के भुगतान के संबंध में विचार।

Pranais

निर्णयः

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यरत शिक्षकेत्तर किर्मियों के वेतनान्तर के भुगतान के संबंध में प्राप्त शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार भुगतानादेश जो वित्त समिति से अनुमोदित है पर निर्णय लिया गया कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए भुगतान किया जाय।

अन्यान्य मद:-

अन्यान्य मद सं0 01 डॉ

डॉ० बिनोद कुमार चौधरी एवं डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने संबंद्ध महाविद्यालयों में चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों का अधिसूचना जल्द—से—जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा की अभी भी कई महाविद्यालयों में पद सृजन का कार्य लंबित है, उसे भी शीध कराया जाय।

अन्यान्य मद सं0 02

डाँ० कन्हैया चौघरी, व्याखाता, गृह विज्ञान विभाग, एम०आर०एम० महाविद्यालय, दरमंगा का वेतन मुगतान करने संबंधी निर्णय पूर्व के अभिषद में लिया जा चुका है किन्तु मुगतान नहीं हो रहा है। डाँ० चौघरी स्वीकृत पद पर लम्बे समय से कार्यरत है, इनका मुगतान गेस्ट टीचर की तरह 19.12.2018 से प्रारम्भ करने पर सहमति बनी। इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह डाँ० अजीत कुमार चौघरी ने किया।

अन्यान्य मद सं0 03

सदन में चर्चा के दौरान डाँ० बैद्यनाथ चौघरी, अभिषद् सदस्य, किस कोटि से हैं, के संबंध में विस्तृत जानकारी अगले बैठक में उपलब्ध कराये जाने पर सहमति बनी।

अन्यान्य मद सं0 04

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की प्रोन्निति संबंधी अधिसूचना तुरन्त निर्गत कर दी जाय तथा बाद में कृत कारवाई का अनुमोदन (Post-facto approval) प्राप्त कर ली जाय।

अभिषद् की आगामी बैठक 19 अक्टूबर, 2019 को आहूत करने पर सहमति बनी।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमित से कुलसचिव महोदय ने सभी माननीय सदस्यों को अपना कीमती समय व सुझाव देने हेतु घन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त, बैठक समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी माननीय सदस्यों को खेल दिवस के अवसर पर डाँ० नागेन्द्र झा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया।

अनुमोदित।

ह0 / – (प्रोo सुरेन्द्र कुमार सिंह) कुलपति—सह—अध्यक्ष

ज्ञापांक:- 118- 519/19

ह0 / – (कर्नल निशीथ कुमार राय) कुलसचिव-सह-सचिव

दिनांक:-29-8-2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
- 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- उप—सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
- नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 6. सभी पदाधिकारी/कुलपित के सचिव/प्रति—कुलपित/वित्तीय परामर्शी/कुलसिचव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

12/8/19

कुलसचिव

29/08/19